[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 39/2016 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ), - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 के उप-नियम (2) के उपवाक्य (ख) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 17/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), सा.का.नि. 455, दिनांक 1 अगस्त, 2006, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, उपवाक्य (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषणों या आभूषणों की वस्तुओं के भाग या दोनों का विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो।"।

[फा.सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 17/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 01 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 455, दिनांक 1 अगस्त, 2006, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 42/2008- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 29 सितम्बर, 2008, जिसे सा.का.नि. 698 (अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2008 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।